अध्याय XV : जहाजरानी मंत्रालय

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास

15.1 अतिजीवित टग पर अविवेकी व्यय

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास ने एक कार्यकाल से अतिजीवित टग की मरम्मत पर ₹15.17 करोड़ का अविवेकी व्यय किया असन्तोषजनक निष्पादन के बाद ₹62.57 लाख से बेच दिया गया था।

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के स्वामित्व में अपने जहाजरानी प्रचालनों के 20 वर्षों की कार्यकाल प्रत्याशा के साथ एक टग एम.टी. इन्दिरा गांधी (1987 में निर्मित) था। जब टग ड्राई डोकिंग में लाने के लिए देय हो गया था (अक्तूबर 2005 तथा अप्रैल 2006 के बीच) तब पत्तन के उप संरक्षक ने कहा (नवम्बर 2005) कि ड्राई डोकिंग पर और खर्च करना लाभकारी नहीं होगा क्योंकि टग ने अपने उपयोगिता कार्यकाल से लगभग अधिक समय तक कार्य कर लिया था। इसके अलावा, टग की स्थिति का निर्धारण करने के लिए पत्तन द्वारा गठित समिति ने भी ड्राई डोकिंग, वोईथ फालतू पुर्जों और टग के विशेष सर्वेक्षण पर ₹8.25 करोड़ के प्रस्तावित व्यय पर प्रश्न किया था (नवम्बर 2007) जिसने अपने जहाजरानी प्रचालन के 19 वर्ष पहले ही पूरे कर लिए थे।

उपर्युक्त विचारों के बावजूद, बोर्ड ने टग एम.टी. इंदिरा गांधी के ड्राई डोकिंग मरम्मत कार्य करने का निश्चय किया (दिसम्बर 2007) क्योंकि टग की खरीद के लिए अपेक्षित समय 18-24 माह के बीच था और ₹8.25 करोड़ का व्यय अनुमोदित किया। तथापि, पत्तन ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सी.एस.एल.) में 23 माह (मई 2007 से अप्रैल 2009) में ₹15.17 करोड़ की अन्तिम लागत पर टग की मरम्मत कराई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुनः तैयार टग का निष्पादन खराब था जैसा निम्नलिखित तथ्यों से पता चला :

(क) यह जहाजरानी प्रचालनों में शक्तिशाली नहीं था (ख) पत्तन ओर के वोइथ ने 750 आर.पी.एम. पर जहाज का उचित नियंत्रण प्राप्त नहीं किया था (ग) टग का उपयोग 2009-10 में केवल 12.79 *प्रतिशत*, 2010-11 में 9.18 प्रतिशत और 2011-12 में 7.26 प्रतिशत था। (घ) टग मुख्तया आपाती

उपयोग/निगरानी कार्य प्रयोजनों के लिए और केवल बंदरगाह पर तट से कर्मी दल/सर्वेक्षकों को जहाजों तक परिवहन हेतु उपयोग किया गया था और (ङ) अन्तवर्ती शॉफ्ट में खराबियां हुई थी।

इसी बीच, अगले ड्राई डोकिंग के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई थी और लागत लगभग ₹5.32 करोड़ होनी अनुमानित की गई थी। खराब निष्पादन, अवस्था और किसी आगामी कार्यकाल आश्वासनों के बिना टग की ड्राई डोकिंग पर अनुमानित व्यय को ध्यान में रखकर बोर्ड ने टग को बदलने का निर्णय लिया (जनवरी 2012)। आखिरकार वी.ओ.सी.पी.टी. ने ₹62.57 लाख में जनवरी 2015 में टग को बेच दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टग की कार्यात्मकता निर्धारित करने में पत्तन की विफलता और विशेषज्ञों तथा तकनीकी समिति के विचारों के विरूद्ध टग की मरम्मत/निर्जल गोदी कराने के इसके निर्णय के परिणामस्वरूप ₹15.17 करोड़ का अविवेकी व्यय हुआ।

पत्तन ने बताया (नवम्बर 2014) कि टग की मरम्मत (क) इसके कार्यालय की अवधि के अन्त तक सांविधिक आवश्यकता को पूरा करने (ख) वोइथ में समस्याओं का प्रबन्ध करने (ग) पत्तन का एक अन्य टग एम.टी. तिरूवल्लुवर शुष्क गोदी के लिए नियत था (घ) नए टग की खरीद के लिए अपेक्षित समय 18-24 माह के बीच था और (ङ) कम अवधि हेतु टग किराए की लागत अधिक होगी, के लिए अपेक्षित थी।

उत्तर को निम्न तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है कि :

(क) टग ने 20 वर्ष की अपनी कार्यकाल अवधि पूरी कर ली थी जब बोर्ड ने नवम्बर 2007 में शुष्क गोदी का निर्णय लिया था। (ख) वोइथ ने केवल छः माह की गारंटी दी थी और समिति ने बताया था कि अन्य मशीनरियों के लिए कोई गारंटी नहीं दी जा सकी थी। (ग) टग की मरम्मत के लिए लिया गया समय 23 महीने था। (घ) उसी क्षमता के नए टग की कीमत दिसम्बर 2007 में केवल ₹22 करोड़ थी और (ङ) टग ने व्यय के अनुरूप लाभ नहीं दिए थे।

इस प्रकार, मरम्मत हेतु तकनीकी विचारों के विरूद्ध कार्यकाल से अतिजीवित टग पर ₹15.17 करोड़ का व्यय करने का पत्तन का निर्णय परिहार्य था और औचित्य की कमी थी।